

#12 24



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - लांगन्य)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. अ 680 दायर दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का खेड़ा	43	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वयेन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>लाखा का खेड़ा</u> पर <u>तुरकिया खेड़ा</u> खातासं <u>43</u> में वर्तमान प्रविष्टि बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>शेशनलाल पुत्र शंकरलाल जाट सा. देह रहन बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Dhamana</p>	<p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>शेशनलाल पुत्र शंकरलाल जाट सा. देह रहन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा Dhamana 3/10/25 तहसीलदार कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>
			<p>3/10/2025 प. ए. तुरकिया खेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>	<p>हस्ताक्षर न मोहर तहसीलदार</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़</p>